

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सु.नं० 16/17 तारीख रजूर 11-5-17

उपवान - शमेश्वरी बनाम जयगन्ती कौशिक
मिजपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से सुनील कुमार जिन्यल एडवोकेट
ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथ
पत्र व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना
पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस से
तालव कर पत्रावली दिनांक 28.4.17 को पेश हो।

1169-71
11-5-17

अभिषेक कलेक्टर
टोडाभीम (फरीली)

28/4/17

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1, 2 की ओर से श्री
सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालत नाम पेश किया।
अप्रार्थी नं. 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं थी उनके
विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अंतरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा के बिना वकील उभय पक्ष की सहस्र हामी
गई। प्रथम सूचना मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता
था अतः सायल को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मिजपुर की भूमि
खसरा नम्बर 362, 365, 366, 368, कुलफिता
0.04, 0.29, 0.01, 0.43, कुल
कुल रकबा 0.77 है। जो जहाँ काबिज है वही
काबिज रहे। काले जक्क पत्रावली न्याय आपके
द्वारा अजीजपुर में दिनांक 30.5.17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दिनांक

30.5.17

ठहरी राफ

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके दार
 कैंप हाजीजपुर में पेश हुई। वकील उमयपस लख
 गौसापल नं. 1 के प्रति तथा गौसापल नं. 2 उपाधित हुए
 जबकि आर्धता पत्र 1-9 प्रस्तुत किया। जबकि
 गौसापल नं. 2 के वकील उमयपस ने लीये बहस
 करते हुए कथन किया कि मुकदमे में जारी की गई
 इंटिमिड्याटोनि वेदाशा को दावा के फैसला
 तकाला होने तक कन्फर्म कर दिया गोबु
 गौसापल नं. 2 ने श्री मोके की पचासाली
 क्लेश करने के लिए कथन किया। बहस
 पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन
 किया। इस आर्धता पत्र से संबंधित मूल
 दावा तकाला का है। जिले में लायला एवं गौ
 सापल नं. 1 हिस्सेदार काशतकाए खातेदार हैं
 इसलिए विधिवत तकाला होने तक दिनांक -
 28.4.17 को जारी की गई इंटिमिड्याटोनि वेदाशा
 को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म किया गया
 की लायला एवं गौसापलान को पाबन्द किया
 जाता है कि गुम मिजिपुर की श्रीमि शसरा
 नम्बर $\frac{362}{0.04}$ $\frac{365}{0.29}$, $\frac{366}{0.01}$, $\frac{368}{0.43}$ कुल रकम
 4 कुल रकम 0.77 है 0 में जो जहाँ काबिज है।

उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करौली)

12.8.17
अलय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

काबिज रहे। रिजार्ड एवं गोप्रे की यथास्थिति
के फेरला हमें तक उपपक्ष यथावत कोष
में। पत्रावली फेरल शुभा हाफर नवसे
हाफ दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.5.17 को लिखाया

मा खुले न्यायालय कैम्प डजीजपुर में सुनाया

॥


जगदीश आर्य
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)